न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 216 / 2023

अनवान : –

1. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रवि कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– वादीगण

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र उदमीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पन्नालाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. डुंगरराम पुत्र श्योलाल जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. धनपतराम पुत्र श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राधा पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामेश्वरी पत्नी श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुन्दरी पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सरस्वती पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. अमीलाल पुत्र पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. गायत्री पुत्री पालाराम जाति ब्राह्मण निवात्ती रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. दुन्नीराम पुत्र पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रूकमणी पत्नी पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. सावित्री पुत्री पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. अन्सुईया पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. कमला पत्नी बलराम जाति ब्राह्मण निवारो रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. कृष्णा पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. कान्ता पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. बबलु पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. मंगलचंद शर्मा पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. मंजू पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. विद्या पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. विमला पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. सलोचना पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. शारदा पत्नी राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
26. सुमन पुत्री राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
27. मंजू पुत्री राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. कृष्ण कुमार पुत्र राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
29. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
30. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
31. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

32. फूली पत्नी रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
33. जयप्रकाश पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

34. इन्द्रावती पत्नी पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
35. माया पुत्री पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
36. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
37. विमला पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
38. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2074–2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0110 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 के कुल खसरे 52 का कुल क्षेत्रफल 8.2330 है० भूमि तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि सहखातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें रामेश्वर, इन्द्राज श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम व काशीराम पुत्र रामचन्द्र के 1/3 हिस्सा यानी काशीराम पुत्र रामचन्द्र अकेले के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज थी। रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2058–2062 के खाता संख्या 261/244 के कुल किता 5 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है० भूमि में से काशीराम पुत्र रामचन्द्र का 1/6 हिस्सा तथा रामेश्वर, इन्द्राज, श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम के ब० हि० ब० 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा रोही गौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2048–2052 के खाता संख्या 84 की कुल किता 37 का कुल क्षेत्रफल 32 बीघा 11 बिस्वा भूमि में काशीराम पुत्र रामचन्द्र का 1/6 हिस्सा व रामेश्वर, इन्द्राज, श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम के ब० हि० ब० 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 43 के कुल कित्ता 36 का कुल क्षेत्रफल 9. 1054 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा कशीराम पुत्र रामचन्द्र के व रामेश्वर, इन्द्राज, श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम के ब० हि० ब० 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त जमाबंदी का आगामी जमाबंदी [illegible] काशीराम पुत्र रामचन्द्र तथा रामेश्वर, इन्द्राज, श्योराम, बलाराम, राममूर्ती [illegible] ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार जमाबंदी में गलत अंकन कर दिया [illegible] काशीराम को भी उदमीराम के वारिसों के साथ ब० हि० ब० दर्ज कर दिया जो कि विधि विरुद्ध दर्ज है। काशीराम व उदमीराम दोनो भाई थे जो कि 1/6 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा उदमीराम के फोत होने के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि उदमीराम के पुत्रों के 1/6 हिस्सा दर्ज हुई तथा काशीराम के 1/6 हिस्सा दर्ज हुई। इसी प्रकार आज भी कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा पाने के अधिकारी है। उक्त विवादित भूमि में वादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 ब० हि० ब० 1/72 हिस्सा, तस्तीवी प्रतिवादी संख्या 31 का 1/72 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 35, 36, 37 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा के काबिज काश्तकार है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2, 10, 20 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के सही तौर से दर्ज है एवं मुताबिक दर्ज राजस्व रिकार्ड ही सभी के कब्जा काश्त में है। लम्बे अर्से से यही हिस्सा कस्सी चली आ रही है एवं उक्त हिस्सा कस्सी को वादीगण दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी नही है अत जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमावे। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाह अमल में लायी गयी।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 में दलीपसिंह ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये एवं वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 11 बारानी खाता स0 448 ईएक्सपी–1, रोही मौजा 16 डीपीएन खाता स0 105 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रेाही मौजा 13 एनटीआर खाता स0 59 ईएक्सपी–3, जमाबंदी सम्वत 2029 ता 38 रोही मौजा 11 एनटीआर खाता स0 43 ईएक्सपी–4, रोही मौजा 11 बारानी जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता स0 261 ईएक्सपी–5, रोही मौजा 16 डीपीएन जमाबंदी सम्वत 2048–51 खाता स0 84 ईएक्सपी–6 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र काशीराम, मैनावती, राम[illegible]राम, कौशल्या पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य प्रतिवादी में डीब्ल्यू [illegible] लेखबद्ध करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible]ने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0110 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

खाता संख्या 106/91 के कुल खसरे 52 का कुल क्षेत्रफल 8.2330 है० भूमि तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि तीनो खातों की भूमि जिसमें रामेश्वर, इन्द्राज श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम व काशीराम पुत्र रामचन्द्र के 1/3 हिस्सा यानी काशीराम पुत्र रामचन्द्र अकेले के 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज थी आगामी जमाबंदी में अंकन करते समय काशीराम पुत्र रामचन्द्र तथा रामेश्वर, इन्द्राज, श्योराम, बलाराम, राममूर्ती पि० उदमीराम को 1/3 हिस्सा ब0 हि० ब० के खातेदार काश्तकार जमाबंदी में गलत अंकर कर दिया जिसमें काशीराम को भी उदमीराम के वारिसों के साथ ब० हि० ब० दर्ज कर दिया जो कि विधि विरूद्ध दर्ज है। काशीराम व उदमीराम दोनो भाई थे जो कि 1/6 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे तथा उदमीराम के फोत होने के पश्चात उक्त भूमि उदमीराम के पुत्रों के 1/6 हिस्सा दर्ज हुई तथा काशीराम के 1/6 हिस्सा दर्ज हुई। अत वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0110 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 106/91 के कुल खसरे 52 का कुल क्षेत्रफल 8.2330 है० भूमि तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि तीनो खातों में हिस्सा दुरुस्त करवाकर वादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 के ब० हि० ब० 1/72 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 के 1/72 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 35, 36, 37 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के सही तौर से दर्ज है एवं मुताबिक दर्ज राजस्व रिकार्ड ही सभी के कब्जा काश्त में है। लम्बे अर्से से यही हिस्सा कस्सी चली आ रही है एवं उक्त हिस्सा कस्सी को वादीगण दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी नही है अत वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि काशीराम व उदमी दोनो भाईयों के बहिब 1/6–1/6 थी उदमी के देहान्त के बाद उदमी के वारिसान के बहिब 1/6 व 1/6 हिस्सा काशीराम के नाम दर्ज थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से उदमी के वारिसान व काशीराम को बहिब 1/3 हिस[illegible] है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत 2029 ता 38 के [illegible] राम, बलराम व राममूर्ति पि0 उदमी बहिब काशीराम वल्द [illegible] था व जमाबंदी रोही मौजा 16 डीपीएन सम्वत 2048 में भी यही इन्द्राज है लेकिन वर्तमान ज[illegible]बंदी के अवलोकन के मुताबिक रोही मौजा 16 डीपीएन व 11 बारानी में काशीराम व उदमीराम के वारिसान के बहिब दर्ज है अर्थात प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के बराबर दर्ज है जबकि काशीराम के अकेले के एवं उदमीराम के वारिसान के बराबर भूमि दर्ज होनी थी एवं रोही मौजा 13 एनटीआर की भूमि में काशीराम के अकेले के 1.518 हेक्ट भूमि एवं उदमीराम के वारिसान के नाम 1.518 हैक्ट भूमि बहिब दर्ज होनी थी लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम के 1.3011 हैक्ट दर्ज है यानि की 0.2169 हैक्ट भूमि कम दर्ज है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0110 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 के कुल खसरे 52 का कुल क्षेत्रफल 8.2330 है० भूमि तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि तीनो खातों में हिस्सा दुरुस्त करवाकर वादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 के ब० हि० ब० 1/72 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 के 1/72 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 35, 36, 37 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 216/2023

अनवान : –

1. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रवि कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– वादीगण

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र उदमीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पन्नालाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. डुंगरराम पुत्र श्योलाल जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. धनपतराम पुत्र श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राधा पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामेश्वरी पत्नी श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुन्दरी पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सरस्वती पुत्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. अमीलाल पुत्र पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. गायत्री पुत्री पालाराम जाति ब्राह्मण निवात्ती रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. दुन्नीराम पुत्र पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रूकमणी पत्नी पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. सावित्री पुत्री पालाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. अन्सुईया पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. कमला पत्नी बलराम जाति ब्राह्मण निवारो रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. कृष्णा पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. कान्ता पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. बबलु पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. मंगलचंद शर्मा पुत्र बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. मंजू पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. विद्या पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
23. विमला पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. सलोचना पुत्री बलराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. शारदा पत्नी राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
26. सुमन पुत्री राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
27. मंजू पुत्री राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. कृष्ण कुमार पुत्र राममूर्ती जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
29. राजस्थान राज्य तहसी[illegible] नोहर जिला हनुमानगढ़।
30. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
31. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ [illegible] नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

32. फूली पत्नी रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवा[illegible] रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

33. जयप्रकाश पुत्र पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
34. इन्द्रावती पत्नी पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
35. माया पुत्री पूर्णाराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
36. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
37. विमला पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
38. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 216 सन 2023 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.0110 है० भूमि व रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 के कुल खसरे 52 का कुल क्षेत्रफल 8.2330 है० भूमि तथा रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि तीनो खातों में हिस्सा दुरुस्त करवाकर वादी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 32 ता 34 के ब० हि० ब० 1/72 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 के 1/72 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 35, 36, 37 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 के संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:05:03 IST
Reason: SelfAttested